न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ल संख्या : 16/217

1. पन्ना लाल आत्मज धूली लाल जाति कलाल निवासी मोतीकुआ के पास इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. नन्दकिशोर आत्मज श्री पन्ना लाल जाति कलाल
   1/2. कस्तूरचन्द आत्मज श्री पन्ना लाल जाति कलाल निवासी मोतीकुआ के पास इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
   1/3. रामनारायण पुत्र कस्तूरचन्द जाति कलाल निवसी मोतीकुआ के पास इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/3/1. आकाश उम्र 16 वर्ष पुत्र
   1/3/2. विकास उम्र 13 वर्ष पुत्र
   1/3/3 रक्षा पुत्री पिसरान स्व0 रामनारायण नाबालिगान जरिये वली नन्दकिशोर आत्मज श्री पन्ना लाल जाति कलाल निवासी मोतीकुआ के पास इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. बाबूलाल आत्मज धन्ना लाल जाति खटीक निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. बजरंगा पुत्र बलदेव जी जाति कलाल निवासी इटावा जिला कोटा ।
3. भंवर लाल पुत्र बलदेव जाति कलाल निवासी इटावा जिला कोटा ।
4. ग्राम पंचायत इटावा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
5. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रघुवीर सिंह राठौड, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांक: 04.07.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.04.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 बाबूलाल ने अधीनस्थ ालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश र प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम इटावा में गैंता रोड पर प्रार्थी के पूर्वजों की तृक भूमि आराजी खसरा नम्बर 1161 रकबा 0.87 हैक्टर भूमि स्थित है । प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1161 पर जाने का एकमात्र रास्ता गैंता रोड मुख्य सडक से खसरा नम्बर 1131 व 1162 के मध्य स्थित मेड पर होकर जाता है जो वर्षो से बना हुआ है तथा सभी कृषक उक्त पुराने व परम्परागत रास्ते का उपयोग खेती बाडी फसल लोने ले जाने आदि में करते आ रहे हैं। उक्त रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं है । अप्रार्थीगण उक्त रास्ते पर अतिक्रमण करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः ग्राम इटावा से गैंता रोड पर मुख्य सडक मार्ग से खसरा नम्बर 1131 एवं 1161 के मध्य स्थित मेड व आम रास्ते को प्रार्थी के खोत खसरा नम्बर 1161 तक 15 फुट चौडाई में विस्तारित कर रास्ता घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने का आदेश पारित करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 06.04.2016 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा के खसरा नम्बर 1131 की मेड के सहारे 120 मीटर लम्बाई एवं 04 मीटर चौडाई में प्रार्थी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 1161 में आने –जाने हेतु गै0मु0 रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.04.216 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में आराजी खसरा नम्बर 1168 का खातेदार बजरंगलाल पुत्र जगन्नाथ आराजी खसरा नम्बर 1167 का खातेदार गौरीशंकर, नन्दलाल पुत्र रामनारायण को पक्षकार नहीं बनाया गया है । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के खेत पर आने–जाने का पुराना रास्ता नोनेरा रोड के सहारे –सहारे है । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं था । दिनांक 07.10.2011 को थाना इटावा द्वारा एंव पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण करवाया गया जिसके अनुसार उक्त भूमि में कोई रास्ता नहीं है तथा पुराना रास्ता खसरा नम्बर 1131 व 1162 की तरफ से चला आ रहा है । राज्य सरकार के नोटिफिकेशन 251 (ए) रूल 68 निर्धारित फार्म पर प्रार्थना पत्र पेश किया जाना रास्ते हेतु आवश्यक है जो प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.04.2016 निरस्त फरमया जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में आरआरटी 2017 (1) पेज 342, आरआरटी 2017 (II) पेज 789, आरआरटी 2017 (II) पेज 1088, आरआरटी 2017 (1) वेज 423 आदि न्यायिक दृष्टांत पेश किये और अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने

...ती दर की दोगुना राशि राजकोष में जमा कराने पर उक्त रास्त कायम कर राजस्व ...र्ड में रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक ...टि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.04.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में आराजी खसरा नम्बर 1168 का खातेदार बजरंगलाल पुत्र जगन्नाथ आराजी खसरा नम्बर 1167 का खातेदार गौरीशंकर, नन्दलाल पुत्र रामनारायण को पक्षकार नहीं बनाया गया है । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के खेत पर आने–जाने का पुराना रास्ता नोनेरा रोड के सहारे –सहारे है । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं था । दिनांक 07.10.2011 को थाना इटावा द्वारा एंव पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण करवाया गया जिसके अनुसार उक्त भूमि में कोई रास्ता नहीं है । राज्य सरकार के नोटिफिकेशन 251 (ए) रूल 68 निर्धारित फार्म पर प्रार्थना पत्र पेश किया जाना रास्ते हेतु आवश्यक है जो प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.04.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एंव साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 27.08.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 04.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा